



द्वारा 1956 के अंतर्गत विहित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए , vj bāM; k fyfeVM ds31 elpZ 2014 dks l ekR o"Zdsysq[ka ij Hkjr dsfu; a-d , oaegkys[kk ij h[kd dh fVlif. k ka

कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत विहित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए , vj bāM; k fyfeVM (एआईएल) के वित्तीय विवरणों के तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र लेखा परीक्षक अपने व्यावसायिक निकाय भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा विहित लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। उनके दिनांक 11 दिसम्बर, 2014 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार ऐसा किया हुआ कहा गया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(ख) के अंतर्गत एअर इंडिया लिमिटेड के 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की संपूरक लेखा परीक्षा की है। यह संपूरक लेखा परीक्षा, स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के दस्तावेजों के बिना तथा स्वतंत्र लेखा परीक्षकों तथा कंपनी कार्मिकों की जांच और कुछ लेखा खातों की चयनित जांच के साथ भी स्वतंत्र रूप से की गई है। अपनी संपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जो मेरे ध्यान में आए हैं तथा मेरे विचार से वित्तीय विवरणों तथा संबद्ध लेखा परीक्षा रिपोर्ट को बेहतर रूप से समझने के लिए आवश्यक है:

foUk; foUj. ka ds Hkx ds: i ea fVlif. k ka

fVli. kh l a 79

टिप्पणी सं. 79 में आई ए एल द्वारा उल्लिखित 'ईबीआईटीडीए' का सही रूप 'ईबीआईटीडीए' पढ़ा जाए। उक्त टिप्पणी में एआईएल का यह कथन कि 2013-14 में सकारात्मक ईबीआईटीडीए हासिल कर ली गई है, को इस तथ्य के दृष्टिगत देखा जाए कि तीन बी 777एलआर विमानों के विक्रय से हुए 3,872.5 मिलियन रुपए की हानि को ध्यान में रखे बिना ही कंपनी द्वारा ईबीआईटीडीए की गणना की गई थी।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा
परीक्षक के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता./—

ijekl s

प्रधान निदेशक – वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
तथा पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा मंडल-II, मुंबई

स्थान : मुंबई

दिनांक : 28 अप्रैल 2015



fnukd 31 elpZ 2014 dksl ekRr o"Zdsfy, dāuh dsyS kōij dāuh vf/fu; e] 1956 dh /kjk 619½ds vaxZ
Hkjr dsfu; æd , oaegkys k ijh{k d dh fVli.f.k kōij izāk oxZds mŪkj

yS k ijh{k fVli.f.k k	izāk oxZds mŪkj
<p>yS k ds Hkx ds: i ea uW , vkbZy dk uW ua 79</p> <p>टिप्पणी सं. 79 में आई ए एल द्वारा उल्लिखित 'ईबीआईटीडीए' का सही रूप 'ईबीआईटीडीए' पढ़ा जाए। उक्त टिप्पणी में एआईएल का यह कथन कि 2013-14 में सकारात्मक ईबीआईटीडीए हासिल कर ली गई है, को इस तथ्य के दृष्टिगत देखा जाए कि तीन बी 777एलआर विमानों के विक्रय से हुए 3,872.5 मिलियन रुपए की हानि को ध्यान में रखे बिना ही कंपनी द्वारा ईबीआईटीडीए की गणना की गई थी।</p>	<p>यह टाइप संबंधी गलती है तथा सही रूप 'ईबीआईटीडीए' है। वित्तीय वर्ष 2013-14 के लेखों की टिप्पणी में गलत रूप ईबीआईटीडीए का प्रयोग किया गया था जिसके स्थान पर वित्तीय वर्ष 2013-14 की वार्षिक रिपोर्ट के मुद्रण के समय सही रूप 'ईबीआईटीडीए' का प्रयोग किया जाएगा।</p> <p>यह भी उल्लेखनीय है कि ईबीआईटीडीए की गणना/प्रकटन के लिए कोई लेखा मानक निर्धारित नहीं हैं। कंपनी के लेखों में दी गई सूचना कंपनी के लेखों के पाठकों के लाभ के लिए है तथा टीएपी लक्ष्यों की तुलना में कंपनी के मुख्य प्रचालनों द्वारा हासिल की गई ईबीआईटीडीए दर्शाने के लिए भी इसे लेखों में दर्शाया गया है।</p> <p>"बी 777-200एलआर के विक्रय पर हानि" को छोड़कर ईबीआईटीडीए की गणना की गई। ऐसा इस आधार पर किया गया कि यह "अनावर्ती हानि" है तथा टीएपी के अंतर्गत बी 777-200एलआर के विक्रय पर विचार नहीं किया गया था। इस तथ्य को टिप्पणी सं. 69(सी) के माध्यम से टिप्पणियों में उचित रूप से दर्शाया गया है।</p>